The Uttar Pradesh Bhaumik Adhikar (Sankraman Viniyaman) (Punar Adhiniyam Tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1972

Act 12 of 1972

Keyword(s):
Vinash Adhiniyam, District Judge and District Court, Patta, Vihit, Sankraman Adhiniyam

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

145182

L. A.
15/72: 12

Ct. 3

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 जनवरी, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 जनवरी, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया।]

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9 फरवरी, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 फरवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० के उपबन्धों को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने का तथा उसके अनुसरण में किये गये कार्यों को वैध करने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने का;

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जहां विनाश अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो।

(3) यह धारा और धारा 2, 3, 4, 5 तथा 7, 23 जून, 1952 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और धारा 6, 8, 9 तथा 10 तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 5 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

PRICE 15 PAISE

परिभाषायें

2--जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "विनाश अधिनियम" का तात्पर्य 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम से है ;

(ख) "नियत दिनांक" का तात्पर्य 21 मई, 1952 से है;

(ग) "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर भी है;

(घ) "जिला न्यायाधीश का न्यायालय" के अन्तर्गत किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय भी है जिसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन कोई अपील अभ्यर्पित की जाय;

(ङ0) किसी भूमि के सम्बन्ध में, "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, और दवामी काश्तकार से है;

(च) "पट्टा" के अन्तर्गत माफी या रियायती लगान की काश्त भी है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) "संक्रामण अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 से है; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1952 ।

(झ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उनके लिये दिये गये है । यू0 पी0 ऐक्ट सं0 17, 1939

नियत दिनांक के बाद किये गये या रजिस्ट्रीकृत पट्टे और अन्य व्यवहार आरम्भ से ही शून्य होंगे

3--किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी--

(1) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा, जो नियत दिनांक या उसके पश्चात् दिया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत तथा शून्य घोषित किया जाता है, और पट्टेदार (चाहे उसने ऐसे पट्टे के अनुसरण में या उसकी प्रत्याशा में, नियत दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात् कब्जा प्राप्त किया हो) यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 180 और विनाश अधिनियम की धारा 209 के प्रयोजनों के लिये ऐसा व्यक्ति समझा जायगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर काबिज हो । यू0 पी0 ऐक्ट सं0 17, 1939

(2) किसी मध्यवर्ती और किसी काश्तकार के बीच किया गया ऐसा व्यवहार जिससे काश्तकार को अपने खाते या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा संक्रमण का अधिकार प्राप्त हो और जो नियत दिनांक को या उसके पश्चात् किया या निष्पादित किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा में "रजिस्ट्रीकरण" का तात्पर्य लेख्यों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से है और इसके अन्तर्गत यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 57 के अधीन प्रमाणीकरण भी है । यू0 पी0 ऐक्ट सं0 17, 19[illegible]

परिणाम तथा प्रक्रिया

4--(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पट्टा या अन्य व्यवहार शून्य हो जाय, तो उससे सम्बद्ध भूमि के या ऐसी भूमि पर किन्हीं वृक्षों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों के अधिकार और आभार, उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस प्रकार समझे जायेंगे मानों ऐसा पट्टा या अन्य व्यवहार न कभी स्वीकृत किया गया था या न कभी उसको अनुमति दी गयी थी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा पट्टा दिया गया या अथवा जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, अथवा उसके हित उत्तराधिकारी का ऐसे पट्टे या व्यवहार के अनुसरण में किसी भूमि पर कब्जा (चाहे अन्वयाश्रित या वास्तविक हों जिसमें कृषीय कब्जा भी सम्मिलित है) हों, तो इस आधार पर कि उसका किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित अवधि के लिये भूमि पर कब्जा रहा है अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख या रजिस्टर में इस प्रकार कब्जा रखने के किसी इन्दराज के आधार पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं समझा जायगा । यू0 पी0 ऐक्ट सं0 1939

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके कब्जे में उपर्युक्त ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार के अनुसरण में कोई भूमि हो, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में किसी लगान, मालगुजारी या अन्य लोक देयों के लिये उसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) कलेक्टर या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये—

(क) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित भूमि का और उस पर के किन्हीं वृक्षों का कब्जा और प्रभार लेना, और ऐसी कार्यवाही करना अथवा करवाना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करवाना जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में आवश्यक हो ;

(ख) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका सर्वेक्षण करना अथवा उसका माप लेना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पुस्तिका या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना देने, जो निर्दिष्ट की जाय, की अपेक्षा करना; और

(घ) यदि अपेक्षित पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जांय, तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना और ऐसी पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत करना और उनका कब्जा लेना;

वैध होगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा और इस बात का अभिवेदन करेगा कि धारा 3 के और उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध उक्त भूमि या उसके किसी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते, और कलेक्टर सरसरी जांच करने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा ।

(6) कलेक्टर का निर्णय, उपधारा (7) के अन्तर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(7) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा ।

5—(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी पट्टे या अन्य व्यवहार के शून्य हो जाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से जिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो या जिसे कोई अधिकार प्रदत्त किया गया हो अपने निजी जोत के अधीन धृत किसी भूमि को सौंप देने की अपेक्षा की जाय, तो वह उक्त भूमि में से उतनी भूमि को, जो उक्त व्यक्ति द्वारा धृत किसी अन्य भूमि के साथ मिलकर (समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अर्थ में) अधिकतम जोत क्षेत्र से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने के लिये कलेक्टर को, ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायं, एक आवेदन-पत्र दे सकता है । निजी जोत के अधीन भूमि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध ।

प्र0 ... नियम ... सं0 ... 1971

(2) तदुपरान्त कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसे वह, समस्त संगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्दिष्ट करे, पूर्वोक्त विमुक्ति का आदेश दे सकता है और ऐसे प्रतिकर के लिये जो उसकी राय में उक्त भूमि पर कब्जे से अस्थायी रूप में वंचित होने के लिये दिया जाना चाहिये, तथा उक्त प्रतिकर को उन सभी व्यक्तियों के बीच जो ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि भूमि में उनका स्वत्व है और जिनकी या जिनके दावों की उसे सूचना हो, चाहे वे क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुये हों, या नहीं, विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में अभिनिर्णय दे सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है) जो उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के आदेश से, विमुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में या स्वीकृत विमुक्ति की सीमा के सम्बन्ध में, या इस प्रकार विमुक्त भूमि की निर्दिष्ट के सम्बन्ध में या प्रतिकर की धनराशि या जिसे वह देय हों, उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच उक्त प्रतिकर के विभाजन के सम्बन्ध में क्षुब्ध हों, तो वह आदेश के विरुद्ध, ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण पर जारी किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा ।

(4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यथा सम्भव लागू होंगे । 1894 ऐक्ट

धारा 4 में अभिदिष्ट भूमि से वृक्ष गिराने इत्यादि के लिये शास्ति

6—कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष को गिराता है, विरान करता है, काट-छांट करता है, चुआता है, ठूठ बनाता है या जलाता है अथवा उसकी छाल उतारता है या किसी अन्य प्रकार से वृक्ष को क्षति पंहुचाता है अथवा धारा 4 में अभिदिष्ट किसी भूमि को खेती के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ता है या साफ करता है अथवा ऐसी भूमि पर किसी वन में अथवा वृक्षों में आग लगाता है या ऐसे वन के किसी वृक्ष को क्षति पंहुचाता है अथवा पशुओं द्वारा किसी ऐसे वृक्ष को क्षति पंहुचाने देता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

7—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिनों की अवधि पर्यन्त रख जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या संशोधन का उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

वैधीकरण

8—(1) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्रधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, या विनाश अधिनियम की धारा 4, 6 और 25 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भूमि या उस पर किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस आधार पर कि संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्ध वैध तथा प्रभावी थे, किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर किया गया या की गई समझी जायगी और सदैव से ही इस प्रकार वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानों यह अधिनियम सदैव से प्रवृत्त था ।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन किसी न्यायालय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने या धारा 6 के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोग चलाने में कोई रुकावट नही होगी और न ही उसे रुकावट होना समझा जायगा ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

9—राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया जाय अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1952
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1971 का निरसन ।

10—उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० तथा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 399 सा० विधायिका—3192—1975—1805 (मे०) ।